(2)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 16/22 **GCMS id : 2022/27**

1–2. रामप्रसाद, नीरज कुमार पुत्रान बद्रीलाल, जाति धाकड
3–5. गायत्री बाई, भरोसी बाई, ब्रजेश बाई पुत्रियां, बद्रीलाल, जाति धाकड
6. कमला बाई पत्नी स्व. बद्रीलाल, जाति धाकड

– (वादीगण)

बनाम

1–2. भैरूलाल, छीतरलाल आत्मज गोपाल, जाति धाकड, निवासीगण ग्राम कादीहेडातहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक वादीगण
श्री ओमप्रकाश नागर, अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 29.04.2022

1- वादीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- *वादीगण द्वारा अपने वादपत्र अन्तर्गत 88, 89, 188 R.T.A. में निवेदन किया गया कि –*

≈ ग्राम कादीहेडा में वादीगण के पिता एवं पति बद्रीलाल आत्मज गोपाल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 371/340 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है जो बद्रीलाल जी के स्वर्गवास बाद वादीगण के नाम दर्ज की गई जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 495 रकबा 3.15 हैक्टर कायम किये गये जो पूर्व रकबे के मुकाबले 1.51 हैक्टर कम दर्ज किया है।

≈ ग्राम कादीहेडा में खसरा नम्बर 370/340 रकबा 29 बीघा आराजी प्रतिवादी क्रम–2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नम्बर 496 रकबा 5.28 हैक्टर कायम किया गया है जो पूर्व रकबे के मुकाबले 0.62 हैक्टर अधिक दर्ज किया है।

≈ ग्राम कादीहेडा में खसरा नम्बर 340 रकबा 29 बीघा आराजी प्रतिवादी क्रम–1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नम्बर 502 रकबा 5.55 हैक्टर कायम किया गया है जो पूर्व रकबे के मुकाबले 0.89 हैक्टर अधिक दर्ज किया है।

≈ उपरोक्त आराजी पूर्व में गोपाल आत्मज गंगाराम की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 340 बाड रकबा 86 बीघा 5 बिस्वा था जो वादीगण के पिता तथा प्रतिवादीगण को न्यायालय के बंटवारे में प्राप्त हुआ।

≈ प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 5.55 हैक्टर में से 0.59 हैक्टर आराजी भारतमाला परियोजना में अधिग्रहण की गई है, जिसका मुआवजा भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से प्राप्त किया गया। बाद अधिग्रहण प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खसरा नम्बर 609/502 कायम कर प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज की गई है।

≈ वादीगण व प्रतिवादीगण शामलाती रूप से निवास करते है तथा शामलाती ही काश्त करते है जिनका रकबा मौके पर पूरा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में कम ज्यादा हो रहा है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(2)

≈ प्रतिवादी क्रम–1 के खाते में से 0.59 हैक्टर अधिग्रहण हो जाने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की आराजी का कुल योग 13.39 हैक्टर होता है जिसमें प्रत्येक को 4.46 हैक्टर आराजी प्राप्त होना है।

≈ वादीगण को 1.32 हैक्टर रकबा प्रतिादी क्रम 2 से देने पर वादीगण का रकबा 4.47 हो जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 2 को 0.50 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 1 से देने पर प्रतिवादी क्रम 2 का रकबा 4.46 हैक्टर हैक्टर हो जाता है।

≈ वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 20.02.2022 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से आपसी सहमति के अनुसार रकबा समान करने की कहने व प्रतिवादीगण के इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ।

≈ अतः प्रार्थना है कि ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा स्थित आराजी खसरा नम्बर 495 रकबा 3.15 हैक्टर में प्रतिवादी क्रम 2 का रकबा 5.28 हैक्टर में से 1.32 हैक्टर वादीगण के नाम अर्थात वादीगण के खाते 4.47 हैक्टर रकबादर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज शेष 4.96 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर कम करके प्रतिवादी क्रम 1 व 2 प्रत्येक के खाते 4.46 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

3- *दौराने वाद प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर वादपत्र के सभी कथनों को स्वीकार किया गया। साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया – राजीनामा के कथन में सक्षेप में इस प्रकार है –*

~ वादीगण के पिता बद्रीलाल जी व प्रतिवादी क्रम 1, 2 सगे भाई है, जो आज भी शामलाती निवास करते है।

~ वादीगण के पिता एवं पति बद्रीलाल आत्मज गोपाल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की ग्राम कादीहेडा में खसरा नम्बर 371/340 रकबा 28 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है जिसके बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 495 रकबा 3.15 हैक्टर कायम किये गये जो पूर्व रकबे के मुकाबले 1.51 हैक्टर कम दर्ज किया है। इसी प्रकार

~ प्रतिवादी क्रम–1 के नाम ग्राम कादीहेडा में खसरा नम्बर 340 रकबा 29 बीघा आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नम्बर 502 रकबा 5.55 हैक्टर कायम किया गया है जो पूर्व रकबे के मुकाबले 0.89 हैक्टर अधिक दर्ज किया है। एवं

~ प्रतिवादी क्रम–2 के नाम ग्राम कादीहेडा में खसरा नम्बर 370/340 रकबा 29 बीघा आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नम्बर 496 रकबा 5.28 हैक्टर कायम किया गया है जो पूर्व रकबे के मुकाबले 0.62 हैक्टर अधिक दर्ज किया है।

~ प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 502 में से 0.59 हैक्टर अधिग्रहण करने के बाद 4.96 हैक्टर रकबा शेष रहा।

~ वादीगण का रकबा 3.15 हैक्टर में प्रतिवादी–2 अपने रकबे में से 1.32 हैक्टरवादीगण को देने पर वादीगण का कुल रकबा 4.47 हैक्टर होगा।प्रतिवादी क्रम–1 अपने रकबे में से 0.50 हैक्टर, प्रतिवादी–2 को देने पर प्रतिवादी–2 का रकबा 4.46 हैक्टर हो जायेगा तथा प्रतिवादी–1 के पास भी 4.46 हैक्टर रह जायेगा।, जिससे सभी का रकबा समान हो जायेगा।

~ अतः राजीनामा तस्दीक कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का रकबा समान किये जाने की डिक्री प्रदान करें।

4- उक्त राजीनामा पेश कर उभयपक्षकारान ने राजीनामा अनुसार दावे का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्येक पक्षकार द्वारा अपनी अपनी पहचान के दस्तावेज पेश किये जिनका मूल दस्तावेजात से मिलान किया गया। राजीनामा पर सभी पक्षकारान की सहमति बाबत जानकारी प्राप्त कर गई। अतः राजीनामा तस्दीक

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

ACM (HQ), Kota

(4)

करते हुये वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार प्रतिवादी क्रम–2 छीतरलाल के खाते की आराजी खसरा नम्बर 496 रकबा 5.28 हैक्टर के पश्चिम दिशा की 1.32 हैक्टर आराजी कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी क्रम–1 भैरूलाल के खाते की शेष आराजी खसरा नम्बर 609/502 रकबा 4.96 हैक्टर के पश्चिम दिशा की 0.50 हैक्टर आराजी कम की जाकर प्रतिवादी क्रम–2 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29 अप्रेल, 2022 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

(5)

फाईनल डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा
पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

बउनवान –

प्रकरण संख्या : 16 / 22 **GCMS id :** 2022 / 27

1–2. रामप्रसाद, नीरज कुमार पुत्रान बद्रीलाल, जाति धाकड
3–5. गायत्री बाई, भरोसी बाई, ब्रजेश बाई पुत्रियां, बद्रीलाल, जाति धाकड
6. कमला बाई पत्नी स्व. बद्रीलाल, जाति धाकड

– (वादीगण)

बनाम

1–2. भैरूलाल, छीतरलाल आत्मज गोपाल, जाति धाकड, निवासीगण ग्राम कादीहेडातहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 16 / 22
निर्णय दिनांक : 29-04-2022

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं विद्वान प्रतिवादी अभिभाषक श्री ओमप्रकाश नागरएवं प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति में पेश राजीनामा अनुसार आज तारीख 29–04–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर राजीनामा तस्दीक करते हुये वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार प्रतिवादी क्रम–2 छीतरलाल के खाते की आराजी खसरा नम्बर 496 रकबा 5.28 हैक्टर के पश्चिम दिशा की 1.32 हैक्टर आराजी कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी क्रम–1 भैरूलाल के खाते की शेष आराजी खसरा नम्बर 609 / 502 रकबा 4.96 हैक्टर के पश्चिम दिशा की 0.50 हैक्टर आराजी कम की जाकर प्रतिवादी क्रम–2 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को निर्णयानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 29.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाई और टंकित करवाई जाकर मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रुपया	प्रतिवादी		रुपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियो के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियो के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		